सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

अर्धशा0पत्रांक-13/1699/26-3-2013

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
लखनऊ दिनांक 08 नवम्बर, 2013

प्रिय महोदया,

बंजारा जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने से संबंधी जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 12016/21/2000-टीए(आरएल) दिनांक 11-05-2003 एवं पत्रांक 12016/21/2001-टीए(आरएल)/सीएण्डएलएम दिनांक 26-12-2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में आख्या/अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ से बंजारा जाति का सर्वेक्षण एवं नृजातीय अध्ययन कराया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गयी अध्ययन आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंजारा जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बंजारा जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की सभी पात्रतायें, अर्हतायें और योग्यतायें रखती है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने संबंधी मानको को पूर्ण करती हैं। अत: राज्य सरकार

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा बंजारा जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की जाती है। इस जाति के संबंध में कराये गये विस्तृत नृजातीय अध्ययन रिपोर्ट तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18 बिन्दुओं की प्रपत्र पर सूचनायें अंकित करते हुए इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही हैं।

अत: अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बंजारा जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

सद्भावना सहित,

भवदीय

(सुनील कुमार)

सुश्री साधना राउत,
संयुक्त सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in